न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 06/2025

प्रविष्टि दिनांक 01.05.2025

सरकार जरिए जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक (राज.)

..... सायल

बनाम

रामअवतार पुत्र सुवालाल उर्फ सुखदेव जाति खंगार निवासी दिवानजी का कुंआ कालीपलटन टोंक थाना कोतवाली टोंक जिला टोंक

..... गैर सायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :–1–अभियोजन अधिकारी, राजकीय पेरोकार

2–गैर सायल स्वयं उप.।

दिनांक 13/6/25

निर्णय

प्रस्तुत इस्तगासे का संक्षेप में सार इस प्रकार हैं कि जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा गैर सायल रामअवतार पुत्र सुवालाल उर्फ सुखदेव जाति खंगार निवासी दिवानजी का कुंआ कालीपलटन टोंक थाना कोतवाली टोंक जिला टोंक के विरूद्ध यह इस्तगासा प्रस्तुत कर बताया कि गैर सायल आपराधिक प्रवृत्ति में लीन है व जुआ खेलता है, अतः गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही की जावे ताकि इलाके में शान्ति बनी रहे।

इस्तगासा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल की तलबी जरिये सम्मन की गई। गैर सायल स्वयं उपस्थित हुए। अभियोजन अधिकारी एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने अपनी बहस में इस्तगासे में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि गैर सायल के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत हुए है। गवाहान जो प्रेशिक्यूशन ने प्रस्तुत किये है उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता। गैर सायल के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट व चार्जशीट पेश की गई है और वह मुकदमों में गुण्डा साबित होता है। गैर सायल के विरूद्ध अभियोग क्रमशः 280/2024 दिनांक 06.08.2024 थाना कोतवाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जिला टोंक व 327/2024 दिनांक 23.09.2024 थाना कोतवाली जिला टोंक धारा 13 RPGO अधिनियम में दर्ज होकर दोनों प्रकरणों में गैर सायल को सजा सुनाई गई जिनसे संबंधित चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।

अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि गैर सायल बचपन से ही गलत संगत में आने के कारण आपराधिक प्रवृत्ति व गलत संगत करने व अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आये दिन जुआ खेलता है, दुसरों को जुआ खिलवाता है जिससे समाज के लोगों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसकी आम शोहरत खराब है, लोग इससे भयभीत रहते हैं। इसके बारे में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में गैर सायल का स्वतंत्र रहकर घूमना आम जीवन के लिए एवं शांति व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से खतरा बन गया है। अतः गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिले से अन्य जिले में निष्कासित किये जाने के आदेश फरमावें।

गैर सायल की बहस सुनी गई। गैर सायल ने कथन किया कि पूर्व में जिन प्रकरणों में आरोप लगाये गये है वह केवल धारा 13 RPGO अधिनियम के है न कि किसी बडे अपराध अपहरण, हत्या, बलात्कार, चोरी इत्यादि के है तथा सभी प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है। गुण्डा एक्ट के तहत किसी भी अपराधी का आदतन अपराधी होना आवश्यक है किन्तु इस संबंध में प्रार्थी मुल्जिम का कोई रिकार्ड नहीं है। प्रकरणों का पूर्व में निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। गैर सायल वर्तमान में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं है तथा उसके खिलाफ कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। लिहाजा इस्तगासा खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त परिशीलन किया तथा अभियोजन अधिकारी एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा गुण्डा एक्ट की धारा 3(3) में प्रस्तुत किया है तथा गैर सायल के विरूद्ध उक्त प्रकरण जुआ खेलने से संबंधित है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन करने से जाहिर होता है कि गैर सायल जुआ खेलने का आदी है। इस कारण समाज के लोगों पर निश्चित रूप से बुरा असर पड रहा है तथा भविष्य में भी गैर सायल आपराधिक कार्य को अंजाम दे सकता है। इसलिए इस आपराधिक प्रवृति को रोकने के लिए समाज हित में शांति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चार्जशीट तथा दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार कर गैर सायल रामअवतार पुत्र सुवालाल उर्फ सुखदेव जाति खंगार निवासी दिवानजी का कुंआ काली पलटन टोंक थाना कोतवाली टोंक जिला टोंक को दिनांक 20.06.2025 से 20.07.2025

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

तक की अवधि के लिए शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस थाना कोतवाली जिला टोंक से पुलिस थाना सदर टोंक, जिला टोंक के लिए निष्कासित किया जाता है तथा उसे पाबन्द किया जाता है कि वह प्रकरण में अंकित अपराधों की पुनरावृति नहीं करेगा एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सदर टोंक, जिला टोंक के यहां प्रतिदिन हाजरी दर्ज करावेगा। इस संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना सदर टोंक, जिला टोंक आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावे। फैसले की प्रति संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित थानाधिकारी को प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक